



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर — 452 001

कं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 14 / 2426

दिनांक 11 FEB 2014

प्रेषक,

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,  
इल्वा कामर्स एण्ड साइंस कॉलेज,  
स्नेह नगर,  
इन्दौर

विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.12.2013 एवं कार्य परिषद  
की बैठक दिनांक 18.12.2013 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

अ.क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	बी.एड.	2012–13	100 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है।

शर्त :—

पूर्व वर्ष 2011–12 में दी गई शर्तों का पालन सुनिश्चित करके विश्वविद्यालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

- (1) एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों का पूर्ण पालन किया जावे।
- (2) विश्वविद्यालय परिनियम कं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे
- (3) महाविद्यालय [aishe.gov.in](http://aishe.gov.in) पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।

भवदीय

कुलसचिव

दिनांक :.....

पृष्ठांकन शैक्षणिक / सम्बद्धता / 14 /

उप-कुलसचिव(शैक्ष)

56

11/2/14



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

कं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 13 / 736  
प्रेषक,


कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,  
इल्वा कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज  
स्नेहनगर  
इन्दौर

दिनांक: .....

27 MAY 2013



विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.03.2013 तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 21.03.2013 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

अ.क्र.	पाठ्यक्रम / विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.एड.	2011–12	100 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है।

#### CONDITIONS:

- One HOD and three teachers should be appointed under college code 28 in addition to existing three teachers under code 28.
- One photocopier should be purchased in library.

विशेष : (i) अस्थाई सम्बद्धता का सशर्त नवीनीकरण की अनुशंसा की जाती है। किन्तु सत्र 2013–14 में उक्त पाठ्यक्रमों के प्रथमवर्ष में छात्रों को प्रवेश, उपरोक्त शर्तों की पूर्ति करने पर एवं विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरांत ही दिये जावे।

(ii) सभी शर्तों का पालन वांछित समयावधि में सुनिश्चित करें। प्राचार्य/शिक्षकों/अन्य अंकित स्टाफ की नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत तीन माह में एवं शेष शर्तों की पूर्ति एक माह में कर पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में जमा करें। अन्यथा आगामी सत्र से नवीनीकरण /अस्थाई सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाएगी। भविष्य में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन नहीं किया जाता है अथवा मुख्य रूप से शिक्षकों की नियुक्तियों नहीं की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आगामी सत्र में महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाए यदि फिर भी महाविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2013–14 के प्रारंभ में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं महाविद्यालय का होगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय किसी भी रूप में इस हेतु जवाबदार नहीं होगा।

(iii) एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।

(iv) विश्वविद्यालय परिनियम कं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

कुलसचिव

दिनांक : .....

पृष्ठांकन शैक्षणिक / सम्बद्धता / 13 /

प्रतिलिपि :- उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/शैक्षणिक विभाग एवं निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
2. रिकार्ड नस्ती।

DARV  
B.Ed. Dept. file  
B.Ed. Dept. file  
12/11/2004

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन

इन्दौर 452001

कं./शैक्षणिक/चार/सम्बधता/2004/ 1134

दिनांक :- 11 NOV 2004

प्रति,

✓ प्राचार्य,

इल्वा कामर्स एण्ड सार्फेन्स कॉलेज,

इन्दौर

विषय :- सम्बधता संबंधी आपका आवेदन।

महोदय,


उपर्युक्त विषय में सूचित करना है कि आपके आवेदन-पत्र दिनांक 16.2.2004 के संदर्भ में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 9.11.2004 में आपके महाविद्यालय को बी.एड. पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बधता हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।

अ.क्र.	पाठ्यक्रम/विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम	2004-2005	100 छात्रों के प्रवेश हेतु सर्त अस्थाई सम्बधता प्रदान की जाती है।

सत्र 2004-05 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा प्री बी.एड. परीक्षा में दर्शाए गए तथा एन.सी.टी.ई. के प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करें।

शर्तेः

1. महाविद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रमानुसार उपकरण क्य किये जावे।
2. ग्रन्थालय में बी.एड स्तर की कम से कम 50,000/- की पुस्तकें क्य की जावे।
3. शब्दकोष, विश्वकोष, मनोविज्ञान के परीक्षण भी आवश्यकतानुसार क्य किये जावे।
4. सभी शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के अनुसार दो माह में की जावे, एवं उन्हें यू.जी.सी. वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जावे।



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

दिनांक .....

28 NOV 2006

क. शैक्षणिक / चार / सम्बद्धता/06/ २३७५-

प्रेषक,

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,  
इल्ला कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज  
स्नेह नगर, नवलखण्ड  
इन्दौर (म.प्र.)

विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन.

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपके आवेदन दिनांक 31/07/2006 के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

अ.क्र.	पाठ्यक्रम/विषय	सत्र	निर्णय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम	2006-2007	अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है।

शर्तेः-

- (1) विभागाध्यक्ष एवं एक शिक्षक की नियुक्ति एन.सी.टी.ई. की योग्यता/ कॉलेज कोड-२८ के अन्तर्गत कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- (2) सत्र 2006-2007 हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, शोपाल का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
- (3) कृपया एन.सी.टी.ई. / विश्वविद्यालय के परिनियम-27 एवं 28 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (4) यदि महाविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो उसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, अन्यथा संबंधित महाविद्यालय की विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई की जावेगी।

नोट :-

- राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि एवं नियमों के अनुसार ही प्रवेश दिये जाये।
- आपके द्वारा प्रस्तुत (Affidavit) के आधार पर उपरोक्त शर्तों की पूर्ति 31 दिसम्बर 2006 तक करे, ताकि सत्यापन की कार्रवाई सम्पन्न की जा सकें, अन्यथा सम्बद्धता समाप्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।
- आगामी वर्ष 2007-08 में अस्थाई सम्बद्धता के नवीनीकरण के बिना प्रवेश न दिया जाये।

भवदीय,

Mitrawala  
कार्यवाहक कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक शैक्षा/चार/सम्बद्धता/06/

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

१. रिजनल डायरेक्टर, एन.सी.टी.ई., मानस भवन, श्रीमती छिंदा विल्स शोपाल- 462002
२. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश शोपाल।
३. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर-उज्जेन संभाग, श्रावण कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर।
४. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अंग्रेजित।

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबाधित किया जाये किसी  
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो,  
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिवर्सिटी  
फैक्स : 0731-529540



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 11 / 1521  
प्रेषक,

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,  
इल्वा कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज  
स्नेहनगर,  
इन्दौर (म. प्र.)

विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन  
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन दिनांक 31.03.10 संदर्भ में विद्या परिषद की स्थायी समिति की  
बैठक दिनांक 05.05.2011 तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 21.05.2011 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

अ.क्र.	पाठ्यक्रम / विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम	2009-10	100 छात्रों के प्रवेश हेतु अरथाई सम्बद्धता का प्रावधिक नवीनीकरण किया जाता है।

- एन.सी.टी.ई. के नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

  
कुलसचिव

पृष्ठांकन शैक्षणिक / सम्बद्धता / 11 /  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

उप-कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन, एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप-कुलसचिव(शैक्ष.)

समर्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी  
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो,  
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

0731-529540

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिवर्सिटी  
फैक्स :



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

कं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 12 / ५४९

प्रेषक,

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,  
इल्वा कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज  
सनेहनगर, नवलखा,  
इन्दौर (म. प्र.)

दिनांक .....

13 MAR 2012


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन [आपके हारा अस्तु शपथ पर के अनुकूल में] दिनांक 13.02.12 संदर्भ में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2011 से 14.12.2011 तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.02.2012 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

अ.क्र.	पाठ्यक्रम / विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम	2010-11	अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है।

- एन.सी.टी.ई के मापदण्डों का पूर्ण पालन किया जावे।
- विश्वविद्यालय परिनियम कं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

  
कुलसचिव

पृष्ठांकन शैक्षणिक / सम्बद्धता / 12 /

दिनांक : .....

प्रतिलिपि :- उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप-कुलसचिव(शैक्ष.)



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कं. डी.सी.डी.सी./सम्बद्धता/07/ 1251  
प्रेषक,

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,  
इल्ला कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज  
स्नेहनगर, इन्दौर (म.प्र.).

विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन.

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन दिनांक 22/6/02 के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

अ.क्र.	पाठ्यक्रम/विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.एड.	2007-2008	नवीनीकरण किया जाता है।

## शर्त -

- शिक्षकों की योग्यतायें एन.सी.टी.ई. के मानदण्ड के अनुसार होना चाहिये।
- विभागाध्यक्ष, शिक्षा की नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के अन्तर्गत हो।
- पुस्तकालय में शोध पत्रिकायें एवं पुस्तकें एन.सी.टी.ई. के मानदण्ड के अनुसार पूर्ण की जायें।

## नोट:-

- राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि एवं नियमों के अनुसार ही प्रवेश दिये जावें।
- महाविद्यालय शर्तों की पूर्ति 15 दिनों में कर विश्वविद्यालय को सूचित करें, ताकि भौतिक सत्यापन किया सके।

भवदीय

कुलसचिव

दिनांक : .....

पृष्ठांकन डी.सी.डी.सी./सम्बद्धता/07/  
प्रतिलिपि :-

उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही  
हेतु अग्रेष्टि ।



कुलसचिव

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी  
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो,  
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिफर्सिटी  
फेक्स : 0731-529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कं. डी.सी.डी.सी./सम्बद्धता/10/ ३६८  
प्रेषक,

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001  
दिनांक 18/2/10

प्रति,

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.  
प्राचार्य/संचालक,  
इल्वा कॉमर्स एण्ड सांइंस कॉलेज  
सनेहनगर, नवलखा  
इन्दौर (म. प्र.)

विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन दिनांक 02.02.10 के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया

जाता है :-

अ.क.	पाठ्यक्रम/विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम	2008-09	अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है।

अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर किया जा रहा है।

शर्त :-

- 1— महाविद्यालय द्वारा एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों का पूर्ण पालन किया जावें।
- 2— प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड के अनुसार एवं कॉलेज कोड 28 में की जावें।
- 3— राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार ही प्रवेश दिये जावें।

भवदीय

राजेश गुलामी  
(आर.डी. मुसलमांगवकर)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन डी.सी.डी.सी./सम्बद्धता/10/ ३६८

दिनांक : 18/2/10

प्रतिलिपि :-

उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

डी.सी.डी.सी.  
Sharma



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर



क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 14 / 3832

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

दिनांक 12 AUG 2014

प्रति,

1. रव. गुलाबबाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बौरांवा जिला खरगोन
2. योगेश्वर शिक्षा महाविद्यालय, बडवानी
3. यश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बदनावर जिला धार
4. पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय, 33. सिविल लाईन्स, खण्डवा
5. श्री गुजराती समाज बी.एड. कॉलेज, 1, नसिया रोड, इन्दौर
6. श्री उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय, मण्डलेश्वर
7. स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय, निवाती रोड, सेन्धवा
8. महर्षि इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, केट रोड, राउ, इन्दौर
9. डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, स्टेशन रोड, दरगाह रोड, बुरहानपुर
10. आई.पी.एस.एकेडमी, राजेन्द्रनगर, इन्दौर
11. एस.एम. सिद्दा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, 227 भक्तावर मार्ग धार
12. रोशन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भक्तावर मार्ग, धार
13. श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, न्यू पलासिया, इन्दौर
14. मातुश्री अहिल्यादेवी टीचर्स एज्युकेशन, ए.बी. रोड, इन्दौर
15. श्री साईबाबा कॉलेज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, साई बाबानगर, फुटीकोठी के सामने, इन्दौर
16. श्री जैन श्वेताम्बर प्रोफेशनल एकेडमी, एरोइम रोड, इन्दौर
17. काम्पफिडर्स तकनीकी प्रशिक्षण संस्था, 3 गुमारतानगर, इन्दौर
18. ज्ञानोदय महाविद्यालय, एफ सेक्टर, एम.आई.जी. कालोनी, इन्दौर
19. सेन्टपाल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, खण्डवा
20. एनीबिसेन्ट कॉलेज, अन्नपूर्णा रोड, प्रिकाको कालोनी, इन्दौर
21. मिलेनियम बी.एड. महाविद्यालय, न्यू इन्डिरा कालोनी, बुरहानपुर
22. रॉयल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन एण्ड फिजिकल एज्युकेशन, गोमटगिरी, हातोद रोड, इन्दौर
23. पदमा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, झाबुआ
24. अरिहंत कॉलेज, 453 राधारन्वामी सत्तरंग के सामने, खण्डवा रोड, इन्दौर
25. टैगौर शिक्षा महाविद्यालय, अरिहन्तनगर, गोमटगिरी के पीछे, इन्दौर
26. इल्या कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज, रनेहनगर, इन्दौर
27. श्रीकंवरतारा इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, श्रीनगर कालोनी, मण्डलेश्वर
28. नवरत्न कॉलेज ऑफ एज्युकेशन राजगढ़, जिला धार
29. वेदेही कॉलेज, बेटमा तहसील देपालपुर
30. शिवकुमारसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, 88--111 बैंक कालोनी, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर

विषय :— बी.एड. महाविद्यालयों की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण विषयक ।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.04.2014 में की गई अनुशंसा एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.04.2014 में लिए गए निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय द्वारा दिए गये एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों की पूर्ति बाबद, शपथ पत्र रु. 100/- के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं चेकलिस्ट के अनुसार पूर्ति बाबद प्रतिवेदन के तारतम्य में आपके महाविद्यालय को बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण सत्र 2014–15 के लिये निम्न शर्तों अध्याधीन प्रदान किया जाता है :—

1. महाविद्यालय द्वारा एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे । एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड अनुसार सभी शिक्षक कॉलेज कोड 28 में नियुक्त किये जावे । विश्वविद्यालय के परिनियम क. 27 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे ।

अविरत....2

// 2 //

2. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
3. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु रूपये 10/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृष्ठांकन शैक्षणिक / सम्ब / 14 / 3832

दिनांक : 12 AUG 2014

प्रतिलिपि

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. रीजनल डायरेक्टर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर महाविद्यालय के द्वारा दिये गये शपथ पत्र की छायाप्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्डौर संभाग, मोती तबेला केम्पस, इन्डौर की ओर सूचनार्थ।
4. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सम्बद्धता संबंधी नस्ती।

उप-कुलसचिव(शैक्ष)

सामर्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही सम्बन्ध नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिल्हर्सिटी  
फैक्स : 0731-529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 15 / 3311  
प्रेषक,

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.

प्रति,

✓ प्राचार्य / संचालक,  
इल्वा कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज,  
स्नेह नगर,  
इन्दौर(म.प्र.)

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001  
दिनांक .....

19 NOV 2015



विषय : बी.एड.प्रथम वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण करने विषयक।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2015 में की गई अनुशंसा एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.05.2015 में लिए गए निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय द्वारा दिये गये एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों की पूर्ति बाबद शपथ पत्र रु. 100/- के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं चेकलिस्ट के अनुसार पूर्ति बाबद प्रतिवेदन के तारतम्य में आपके महाविद्यालय को बी.एड. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण सत्र 2015-16 के लिये निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाता है:-

- (1) महाविद्यालय की सीट संख्या नवीन एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन-2014 के अनुसार दो बेसिक यूनिट अर्थात् 100 छात्र (एक बेसिक यूनिट = 50 छात्र) की रहेगी।
- (2) महाविद्यालय द्वारा एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन-2014 के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें। एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड के अनुसार सभी शिक्षक कॉलेज कोड-28 में नियुक्त किये जावें। विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. -27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
- (3) महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन [aishe.gov.in](http://aishe.gov.in) पोर्टल पर प्रति वर्ष महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
- (4) महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्व-पोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु रूपये 10/-प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

भवदीय

प्रिया

//2//

पृष्ठांकन शैक्षणिक / सम्बद्धता / 15-16 / 3311  
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 19 NOV 2015

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. रीजनल डायरेक्टर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर महाविद्यालय के द्वारा दिये गये शपथ पत्र की छायाप्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोतीतबेला केम्पस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/शैक्षणिक विभाग एवं निर्देशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. विभागाध्यक्ष, शिक्षा अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि., खण्डवा रोड, इन्दौर।
6. रिकार्ड नसती।

उप-कुलसचिव(शैक्ष)